

अखंड भारत संदेश

www.akhandbharatsandesh.net

नगर संस्करण प्रयागराज

गुरुवार 18 जुलाई 2024

विश्व निर्माण एवं मानव विकास को दुतगति प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान आश्रम की अनुपम भेट

प्रयागराज से प्रकाशित

हरियाणा में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण

हरियाणा में अग्निवीरों को प्रदेश में नौकरियों में भर्ती में छूट मिलेगी- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

बिना व्याज मिलेगा
लोन, सीएम नायब
सैनी ने किए थे बड़े
एलान, अग्निवीरों
को आम्ड लाइसेंस
दिया जाएगा

चंडीगढ़
हरियाणा सरकार ने
अग्निवीरों के लिए बड़ी
घोषणा की है। मुख्यमंत्री
नायब सिंह सैनी ने बुधवार को
एलान किया है कि अग्निवीरों
को प्रेस में 10 प्रतिशत
आरक्षण दिया जाएगा।
चंडीगढ़ उत्तर हरियाणा
निवास में मुख्यमंत्री नायब
सिंह सैनी ने बुधवार को प्रेस
वार्ता की। इस दीर्घन सीएम
सैनी ने अग्निवीरों के लिए कई
बड़े एलान किए हैं। उन्होंने
कहा कि हरियाणा में



अग्निवीरों को प्रदेश में
नौकरियों में भर्ती में छूट
मिलेगी। उन्होंने कहा कि
लगभग दो साल पहले 14
जून 2022 को अग्निवीर
योजना लागू की गई थी। इसके
तहत चार वर्ष के लिए,
भारतीय सेना में तैनाती की
जाती है। अग्निवीर योजना से
50000 तक विवाहित योजना
को लोन दिया जाएगा। सरकार
अग्निवीर सैनिकों को
वायातात दुर्घटनाओं के पैदितों को
प्रदान किया कि अग्निवीरों
को पुलिस कांस्टेबल,

मार्शिंग, गार्ड, जेल गार्ड और
एसपीओ की भर्ती में 10
प्रतिशत आरक्षण दिया
जाएगा। युप सी में तैनाती की
आयु में दूर दी जाएगी। युप
सी में पांच प्रतिशत युप ए में
एक प्रतिशत आरक्षण दिया
जाएगा। अग्निवीर सैनिकों को
14 जून 2022 को अग्निवीर
योजना लागू की गयी थी। अगर
परिजनों को मुआवजा
मिलेगा। इसके
तहत चार वर्ष के लिए
भारतीय सेना की बीमाकृत तथा
वाहनों और टक्कर मारकर
भाने वाले मोटर वाहन
को लोन दिया जाएगा। सरकार
अग्निवीर सैनिकों को
वायातात दुर्घटनाओं के पैदितों को
कैशलेस उपचार की सुविधा
होने पर मुआवजा देगी।
प्रदान की जाएगी।

अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित
करेगा तो उसमें पांच लाख तक
कोई व्याज नहीं मिलेगा: सीएम

सीएम सैनी ने कहा कि यदि कोई अग्निवीर अपना उद्यम
स्थापित करेगा तो उसमें पांच लाख तक कोई व्याज नहीं
मिलेगा। अग्निवीरों को
आम्ड लाइसेंस दिया
जाएगा। हरियाणा के
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
ने कहा, "पीएम मोदी द्वारा
14 जून 2022 को
अग्निवीर योजना लागू की
गई है।

इस योजना के तहत¹
अग्निवीरों को 4 साल के लिए भारतीय सेना में तैनात
किया जाता है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साथा
और कहा कि कांग्रेस ने अग्निवीर योजना को लेकर²
दुष्प्रचार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीर
प्रधानमंत्री की लोकहित योजना है। इसलिए कांग्रेस
इसके बारे में लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही
है।



संसद में उठे अग्निवीर मुद्दे के बाद
मुद्दा चर्चा में बना हुआ

अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस,
माइनिंग गार्ड की भर्ती कैटेरी में
10 फॉस्टरी का आरक्षण भी
मिलेगा। इसमें उच्च सावाल
खड़ा किया था, जिसके बाद इस
विषय पर लगातार बहस जारी
है। इस बीच हरियाणा सरकार ने
अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की
गई है।

पहले केंद्र सरकार ने पूर्व
अग्निवीरों के लिए 10 फॉस्टरी
पद अर्थर्सीनक बलों के लिए³
अग्निवीरों को एक बैच में 360 घंटे
की सुविधा प्रशिक्षण मिलेगा।

एमपी : सरकार 360 घंटे
देगी निःशुल्क प्रशिक्षण

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन
यादव ने अग्निवीरों को लेकर⁴
घोषणा की थी कि अग्निवीर
योजना में शामिल होने के इच्छुक
युवाओं को 360 घंटे का
निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
सीएम यादव ने वह घोषणा राज्य
में गोपनीय दिवस कांग्रेस को
संबोधित करते हुए की थी। इस
निःशुल्क प्रशिक्षण में अग्निवीर
योजना में शामिल होने के इच्छुक
युवाओं को एक बैच में 360 घंटे
की सुविधा प्रशिक्षण मिलेगा।

उत्तर प्रदेश के पुलिस भर्ती में
सीआईएसएफ ने इसकी तैयारी
शुरू कर दी है और इसके फैसले
के आधार पर सीआईएसएफ
जल्द ही भर्तीयों के लिए ये
उन्होंने सिविल पदों पर⁵
नियम लागू करेगी। इसके
लिए अग्निवीरों की सीधी भर्ती पर
अग्निवीरों को क्या छूट दी जाएगी।

इस घोषणा के बाद सीआईएसएफ
ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और इसके फैसले
के आधार पर सीआईएसएफ
जल्द ही भर्तीयों के लिए ये
उन्होंने सिविल पदों पर⁶
नियम लागू करेगी। इसके
लिए अग्निवीरों की सीधी भर्ती पर
अग्निवीरों को क्या छूट दी जाएगी।

बजट सत्र से पहले
आज हो सकती है
केंद्रीय कैबिनेट की
बैठक

केजरीवाल को राहत नहीं: सिंधवी के
कड़े सवालों पर सीबीआई का जवाब



नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अग्निवीर
में 10 प्रतिशत आरक्षण की बैठक
गुरुवार को होने वाली है। यह
बैठक सुबह साढ़े 10 बजे से
शुरू होगी। समाचार एजेंसी
एनआई ने यह बैठक की दी जाएगी।

मालूम हो रहा है कि यह बैठक
जुलाई 2024 से ठीक
पहले हो रही है। इसके
तहत अलावा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 6
बजे भारतीय मुख्यमंत्री भी जा
सकते हैं। इसके लिए सरकार
ने 21 जुलाई 2024 को सर्वदर्तीय बैठक
बुलाई है। मानसून सत्र के दौरान
ही बैठक पेश किया जाना है। ये
सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर
12 अगस्त तक चलने वाला है। इसी
दौरान केंद्र सरकार अपना
पूर्ण बजट पेश करेगा।

केजरीवाल की बैठक

प्रयागराज संदेश

सिटी एक्स्प्रेस

या अली या हुसैन की सदाओं से गूंजा शहर, कड़ी सुरक्षा के बीच निकले ताजिए, रस्ते भर पिलाए गए शर्वत

अखंड भारत संदेश



प्रयागराज। या अली या हुसैन की सदाओं के बीच बुधवार को ताजिए, निकाले गया। अटला, खुल्दबाद, नूरउल्लाह, रोड, घंटाघर, जानसेनगंग, विवेकानंद मार्ग, जोरो रोड, कर्बला आदि इलाकों में ताजिया जुलूस निकाला गया। जगह-जगह शर्वत, ठंडा पानी, हलाम, नमकीन, मिठाई और विचारों का वितरण किया गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक बढ़ोवस्त किया गया था। जुलूस के चलते शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक डावर्स किया गया। इसके चलते लोगों को काफी दिक्कत का समान करना पड़ा। माहे मुहर्रम की दसवीं को अकोदत के फूल दफन करने के लिए निकल पड़े हैं। बुझा ताजिया अपने वक्त के मुताबिक उठाया जाता है। हुसैन के सोंडाइ अपने कंधों पर ताजिया लेकर चल पड़ते हैं। मुस्तका काम्प्लैक्स बैरियर

नैनी में मोहर्रम जुलूस में प्रशासन के साथ एसपीओ टीम तैनात रही



नैनी। नैनी क्षेत्र में मोहर्रम जुलूस के शान्तिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। नैनी पुलिस मौके पर तैनात रही। सुरक्षा व्यवस्था में एसपीओ कर्छना एवं नैनी कोतवालों प्रभारी विचारण सिंह फोर्स के साथ गश्त करते रहे। वहीं प्रत्येक कर्ता की भाँति पुलिस उपायुक्त यमुनानगर एसपीओ कर्छना एसडीएम कर्छना एवं नैनी कोतवालों प्रभारी के आदेशनामर एसपीओ प्रभारी अभयराज सिंह उपायुक्त प्रभारी परवेज अमद अमद, प्रदीप के निवेद्य पर एसपीओ टीम के सदस्यों को जनसंपर्क अधिकारी रविंद्र एवं रमजान बांधव ने पुलिस को जनसंपर्क करता रहा।

रविंद्र एवं रमजान सचिव

संपादक की कलम से

हिंसा पर राजनीति खतरनाक है

संविधान विरोधी छवि को बदलने की क्वायद

- राजेंद्र शम

यह विचित्र नहीं है कि इमरजेंसी में ज्यादतियां आदि सहने वालों तथा कुर्बानियां देने वालों को 'श्रद्धांजलि' अर्पित करने के लिए 'संविधान हत्या दिवस' मनाने का ख्याल मोदी निजाम को दो कार्यकाल पूरे होने के बाद ही आया है। वैसे, संघ-भाजपा के मामले में यह अचरज की बात हर्गिंज नहीं है कि जिन चीजों को वे राजनीतिक रूप से भुनाना चाहते हैं, उन्हें लेकर उनकी पीड़ा सामान्य मानवीय प्रकृति से उल्टी ही चलती है। इससे मुखर विडंबना दूसरी नहीं होगी। जिस दिन अखबारों की सुर्खियों में मोदी सरकार के इसके फैसले की खबर छपी कि, 'अब हर साल 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' मनाया जाएगा', उसी दिन के अखबारों में एक और बड़ी सुर्खी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कथित शराब घोटाले से जुड़े ईडी द्वारा बनाए गए धनशोधन मामले में, अंतरिम जमानत दिए जाने की थी। इसके साथ, उसी दिन के अखबारों में छपी एक और खबर को भी जोड़ लें जो बताती थी कि कथित शराब घोटाले से जुड़े ब्राह्मचार के मामले में, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है, अविवंद केजरीवाल की ही न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई थी। सरल शब्दों में कहें तो बाद वाली दो खबरों का संयुक्त रूप से अर्थ यह था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तथाकथित शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ साक्षों को प्रथम दृष्टद्या नाकाफी करार देकर, उन्हें जमानत दे दिए जाने के बावजूद, मोदी सरकार ने इसका पुख्ता बंदोबस्त कर रखा था कि वह जेल से बाहर नहीं निकल पाएँ। और नरेंद्र मोदी की ही तरह, अपने स्तर पर जनता द्वारा लगातार तीन बार चुने गए एक शीर्ष कार्यपालिका अधिकारी के साथ इस तरह का तानाशाहीपूर्ण सलूक करने वाली सरकार का ही फैसला है कि, "अब हर साल 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' मनाया जाएगा!" वार्कइंड, इससे मुखर विडंबना

दूसरी मुश्किल से ही मिलेगी। यह शायद ही कोई मानने को तैयार होगा कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा देश में आंतरिक आपतकाल लगाए जाने की याद दिलाने के लिए 'सर्विधान हत्या दिवस' मनाए जाने के इस फैसले के पाँछे, वाकई मौजूदा सत्ताधारियों की सर्विधान और सर्वेधारिनिक जनतंत्र को बचाने की चिंता है, जिसका कि दावा इस संबंध में प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री समेत, सत्ताधारी कुनबे की ओर से किया जा रहा है। वास्तव में इसे संयोग हर्गिंज नहीं माना जा सकता है कि पिछले ही दिनों हुए आम चुनाव में भाजपा और उसके नेतृत्वाले एनडीए को जबर्दस्त धक्का लगाने के बाद और जनता द्वारा भाजपा को पिछले दो चुनावों में मिले अकेले पूर्ण बहुमत से बहुत पीछे धकेल दिए जाने के बाद ही, अचानक भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को 'सर्विधान हत्या दिवस' मनाने के जरिए, सर्विधान बचाने की चिंता सताने लगी है। यह सब कितना अचानक है, इसे सिर्फ दो तथ्यों से समझा जा सकता है। पहला, 25 जून को 'सर्विधान हत्या दिवस' मनाने की गणट अधिसूचना, 12 जुलाई को जारी की गई, यानी इस साल की इमरजेंसी की सालांगरह के निकल जाने पूरे ढाई हफ्ते बाद। इमरजेंसी जो भी, जैसी भी थी, उसके चरित्र के संबंध में क्या इस दौरान कोई ऐसा नया रहस्योदयहाटन हुआ है या नये सच सामने आए हैं, जो ठीक इस मुकाम पर मोदी सरकार को इसका इलाहाम हुआ है कि 'सर्विधान हत्या दिवस' मनाना जरूरी है। वास्तव में, ऐसा भी नहीं है कि 25 जून को जब इमरजेंसी की ताजातरीन सालांगरह गुजरी थी, मोदी और उनकी सरकार को इमरजेंसी की याद ही नहीं रही हो। उल्टे खुद प्रधानमंत्री मोदी से शुरू कर, वर्तमान सत्ताधारियों ने अपने हिसाब से जी-भर कर इमरजेंसी पर हमले किए थे। वास्तव में इस सब के पाँछे भ्रमित या सचेत रूप से भ्रम फैलाने की नीयत से फैलाई गई, यह गलतफहमी और थी कि इस 25 जून को इमरजेंसी के पचास साल हो रहे थे। इस सबके बावजूद, मोदी सरकार को जब उसके हिसाब से इमरजेंसी के पचास साल हो रहे थे, उस मोके पर भी 'सर्विधान हत्या दिवस' मनाने की बात नहीं सूझी। और इस आइडिया के आने में ढाई हफ्ते और निकल गए। दूसरी बात यह कि क्या यह विचित्र नहीं है कि इमरजेंसी में ज्यादतियां आदि सहने वालों तथा कुर्बानियां देने वालों को 'प्रदानांजलि' अर्पित करने के लिए 'सर्विधान हत्या दिवस' मनाने का ख्याल मोदी निजाम को दो कार्यकाल पूरे होने के बाद ही आया है। वैसे, संघ-भाजपा के मामले में यह अचरज की बात हर्गिंज नहीं है कि जिन चीजों को वे राजनीतिक रूप से भुनाना चाहते हैं, उन्हें लेकर उनकी पीड़ा सामान्य मानवीय प्रकृति से उल्टी ही चलती है यानी जहां सामान्यतः वक्त जैसे-जैसे गुजरता है, मानवीय पीड़ा घट्टी जाती है, उनकी गढ़ी हुई पीड़ा बढ़ती ही जाती है। इसलिए, हैरानी की बात नहीं है कि जहां दस साल पहले मोदी राज को इमरजेंसी की चुभन इतनी महसूस नहीं होती थी कि इसका रेचन करने के लिए अलग से एक राष्ट्रीय दिवस मनाना शुरू किया जाता दस साल गजरने के बाद उसे 'सर्विधान हत्या दिवस' मनाना अत्यंत

दिल्ली: छोटे बच्चों में तेजी से फैल रही एचएफएमडी बीमारी, जानें लक्षण क्या

नई दिल्ली। दिल्ली में छोटे बच्चों को हाथ, पैर और मुँह की बीमारी अपनी चेपेट में तेजी से ले रही है। चिकित्सकों ने बताया कि एचएफएमडी एक आम वायरल बीमारी है जिससे सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं। हाथ, पैर और मुँह का रोग (एचएफएमडी) मुख्य रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों में फैल रहा है। लक्षणों की बात करें, तो इसमें बुखार, गले में खराश, मुँह में छाले और हाथों और पैरों पर चकते दिखते हैं। इस तरह के रोग विभिन्न प्रकार के एंटरोवायरस के कारण होते हैं, जिसमें सबसे आम तौर पर कॉम्ससैकीवायरस अ१६ और एंटरोवायरस ७१ जैसे वायरस होते हैं। गुरुग्राम के फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल डायरेक्टर और एचओडी, पीडियाट्रिक्स डॉ. कृष्ण चुध ने आईएनएस को बताया, "हम रोजाना इसके ४ से ५ मामले देख रहे हैं, जो हमारे द्वारा देखे जाने वाले औसत मामलों से बहुत अधिक है।" उन्होंने कहा, "यह मामले खासतौर पर १-७ वर्ष तक की आयु के बच्चों में देखने को मिल रहे हैं।" ज्यादातर संक्रामक बीमारियां आमतौर पर बुखार से शुरू होती हैं, जिसके साथ अक्सर गले में खराश और अस्वस्थता जैसा महसूस होता है। इसके बाद मुँह, हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों पर दर्दनाक घाव या छाले दिखाई देते हैं। ये घाव बच्चों को काफी परेशान कर सकते हैं, जिससे बाद बच्चों के लिए खाना-पीना मुश्किल हो जाता है। हाथों और पैरों पर दाने, छोटे लाल धब्बे या छाले के रूप में दिखाई दे सकते हैं। कुछ मामलों में, विशेष रूप से एंटरोवायरस ७१ के साथ, यह बीमारी वायरल मैनिंजाइटिस या एन्सेफलाइटिस जैसी अधिक गंभीर जटिलताओं को जन्म दे सकती है। वायरस नजदीकी संपर्क, श्वसन बूदों (खांसने, छोंकने) और दूषित स्तरों या मल के संपर्क में आने से फैलता है। संक्रामकता का उच्च स्तर वहां पाया जाता है जहां छोटे बच्चे इकट्ठा होते हैं, इसमें डेकेयर और स्कूल भी शामिल है। सर गंगा राम अस्पताल में संक्रामक रोगों के वरिष्ठ सलाहकार और प्रमुख डॉ अतुल गोगिया ने आईएनएस को बताया, "यह कुछ दिनों में खुद ही खत्म हो जाता है और दो सप्ताह या उससे भी कम समय में बच्चा ठीक हो जाता है। इससे बचाव के लिए बच्चों को अन्यों के संपर्क में आने से बचाना है।" उन्होंने कहा, "गर्म और आर्द्ध मौसम वायरस के पनपने के लिए आदर्श वातावरण बनाता है, जिससे यह वृद्धि होती है। यह बरसात के मौसम में चरम पर होता है।" दिल्ली के सीके बिड़ला अस्पताल में नियोनेटोलॉजी एवं बाल रोग निदेशक डॉ. पूनम सिद्धाना ने कहा, "पिछले कछ दिनों से केरल में टोमैटो फ्ल नामक महामारी फैलने की खबरें आ

फिर आतंकी हमलों, सैनिकों का बलिदान क्यर्थ न जाये



डोडा वारदात की जिम्मेदारी लेने वाले ह्यूक्समीर टाइग्रसँह जैसे आतंकी संगठनों की ताजा बौखलाहट की एक बड़ी वजह जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली को लेकर बढ़ी सरगर्मी है। राज्य में लोकप्रिय सरकार के गठन के लिए अगले चंद महीनों में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में, आतंकियों की बेचैनी समझी जा सकती है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में घाटी में लोग मतदान केंद्रों पर उमड़ पड़े और दशकों पुराना रिकॉर्ड टूटा, अगर विधानसभा चुनाव में लोगों का उत्साह और बढ़ा, तो जिन ह्यूस्लीपर सेल्सँह की बदौलत वे दहशत का अपना पूरा करोबार चलाते हैं, वे भी मुख्यधारा के प्रति आकर्षित होकर, उनके खिलाफ हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने घाटी के बजाय जम्मू संभग में अपनी सक्रियता बढ़ाई है, ताकि लोकतात्त्विक प्रक्रिया को बाधित किया जा सके और सीमा पार के आकाओं से मदद हासिल करने वाले ह्यूक्सिला जारी रहे। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के समाप्ति के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान से पाकिस्तान बौखलाया है। इसका परिणाम है लगातार हो रही आतंकी हमलें। इन हमलों आंतरिक सुरक्षा के लिये नये सिरे चुनावी पैदा की हैं। जम्मू में रियासत कटुआ और डोडा के आतंकी हमले चिन्ता का बड़ा कारण बने हैं। जम्मू-कश्मीर का माहौल सुधरने के बाद वहां के बजाय पर्टिक स्थल गुलजार हुए हैं और राज्य की अथव्यवधारा सुधर रही है। इसलिए देशद्वीपी नहीं चाहते फैशन कश्मीर में शांति आए और वहां निवार्चित सरकार काम करे। केंद्र में गठबंधन वाली मोदी सरकार ने सामने यह एक बड़ी चुनौती है। वह इन आतंकी घटनाओं को केंद्रीय सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया जो सरकार पाकिस्तान में घूस बढ़ावा ले सकती है, वह सरकार

अब तक शांत क्यों है ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी तह तक जाने की जरूरत है। आतंकी जिस तरह अपनी रणनीति बदलकर सुरक्षा बलों को कहीं अधिक क्षति पहुंचाने में समर्थ दिखने लगे हैं, वह किसी बड़ी साजिश का संकेत है। एक ओर सीमा पार से होने वाली आतंकियों की घुसपैठ पर प्रभावी नियंत्रण करना होगा, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को नए सिर से सबक भी सिखाना होगा। यह इसलिए अनिवार्य हो गया है, क्योंकि पिछले कुछ समय में आतंकी हमलों में बलिदान होने वाले सैनिकों की संख्या कहीं अधिक बढ़ी है। पाकिस्तान सत्ता प्रतिष्ठानों की मदद से यह आतंक का खेल फिर शुरू कर रहा है। कहीं न कहीं दिल्ली में के बाद यह जो कहा जा रहा है कि सैनिकों के बलिदान का बदला लिया जाएगा, उसे न केवल पूरा करके दिखाया जाना चाहिए, बल्कि आतंकियों, उनके आकाऊं और उन्हें सहयोग-समर्थन देने वालों पर ऐसा करारा प्रहर किया जाना चाहिए, जिससे वे अपनी हरकतों से हमेशा के लिए बाज आएं। पाकिस्तान भले ही आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जु़़रहा हो, लेकिन वह जम्मू कश्मीर में पहले की तरह ही आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। उसकी घेरलू व विदेश नीति हाकशीरह पर ही आधारित है। चूंकि इसकी भरी-पूरी आशंका है कि चीन उसे उकसाने में लगा हुआ होगा, इसलिए भारत को कहीं अधिक सतर्क रहना होगा।

बनी गठबंधन सरकार को यह सदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पाक पोषित आतंकवादी जम्मू-कश्मीर में शांति एवं अमन को कायम नहीं रखने देंगे। एक आंकड़े के अनुसार पिछले तीन वर्ष में करीब 50 जवानों को अपना बलिदान देना पड़ा है। यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। आतंक को करारा जवाब केवल तभी नहीं दिया जाना चाहिए, जब एक साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों को बलिदान देना पड़े। वास्तव में हमारे एक भी सैनिक का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। डोडा की घटना केन्द्र सरकार ने कश्मीर में विकास कार्यों को तीव्रता से साकार किया है, न केवल विकास की बहुआयामी योजनाएं वहां चल रही हैं, बल्कि पिछले 10 सालों में कश्मीर में आतंकमुक्त करने में भी बड़ी सफलता मिली है। बीते साढ़े तीन दशक के दौरान कश्मीर का लोकतंत्र कुछ तथाकथित नेताओं का बंधुआ बनकर गया था, जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिये जो कश्मीर देश के माथे का ऐसा मुकुट था, जिसे सभी प्यार करते थे, उसे डर, हिंसा, आतंक एवं दहशत का मैदान बना दिया।

नये कानून से बुजुर्ग मां-पिता की सुध लेने की सार्थक पहल

- ललित गर्ग -

The image is a composite of two photographs. On the left, a close-up of a wooden gavel resting on a block of wood. On the right, a black silhouette of two people; one person is standing and leaning forward as if assisting or comforting another person who is seated or has a cane.



वरिष्ठ सदस्यों के प्रति सम्मान और जैसे प्रावधान है।
वर्हीं बच्चों के साथ कटुता कम देखभाल दिखाना है। मुख्यमंत्री संतान द्वारा बूजगों की

करने के प्रयासों में माता-पिता व बुजुर्गों को त्यागने अथवा दुर्व्ववहार पर बच्चों को दी जाने वाली सजा में कमी करने की भी तैयारी है। ऐसा सामाजिक संगठनों से विमर्श के बाद किया गया है। व्यावेकिं लंबी सजा से माता-पिता और बच्चों के संबंधों में हिमंत विस्वा सरमा ने अपनी घोषणा में परिवार के महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि ह्यमाता-पिता का आशीर्वाद हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। एक आदर्श नागरिक के रूप में, अपने माता-पिता की भलाई सनिश्चित करना ह्यमारी आवश्यकताओं को पूरा न करना गरिमा के साथ स्वतंत्र जीवन जीने जैसे मानवाधिकारों का हनन है। संयुक्त परिवारों के विघटन और एकल परिवारों के बढ़ते चलन ने इस स्थिति को नियंत्रण से बाहर कर दिया है। बहुतों की उपेक्षा परं

मानानपास जार बध्या के सबवा न
ज्यादा खटास बढ़ती है। कहा जा
रहा है कि सरकार बजट सत्र में इस
विधेयक को पेश कर सकती है।
दरअसल, सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता मंत्रालय ने बुजुर्गों की
देखभाल से जुड़े 2007 के कानून
में बदलाव की पहल तब की, जब
समाज में बुजुर्गों की अनदेखी व
दुर्व्यवहार के मामले तेजी से बढ़े हैं।
भारतीय संस्कृति एवं सभी धार्मिक
ग्रंथों में माता पिता को भगवान का
रूप माना गया है और उनकी
निःस्वार्थ सेवा करने की बात कही
गयी है, लेकिन इसके बावजूद कई
लोग अपने बुजुर्ग माता-पिता की
सेवा करना तो दूर उल्टा उहें परेशान
करते रहते हैं। इसलिये विभिन्न

मणाइ तुनाश्वत करना हमारा
जिम्मेदारी है लि

असम सरकार ने पूर्व में राज्य
विधानसभा ने असम कर्मचारी माता-
पिता जिम्मेदारी एवं जवाबेदी तथा
निगरानी नियम विधेयक, 2017 या
प्रणाम विधेयक भी पारित कर चुकी
है। इसका मकसद यह सुनिश्चित
करना है कि राज्य सरकार के
कर्मचारी अपने वृद्ध हो रहे माता-
पिता या शारीरिक रूप से अशक्त
भाई बहन की देखभाल करें नहीं तो
उनके वेतन से पैसे काट लिए
जाएंगे। पूरे देशभर के लोग इस
कानून को असम सरकार का एक
अच्छा कदम बताया। नियमों के
तहत अगर कोई व्यक्ति (सरकारी
कर्मचारी) उसपर निर्भर माता-पिता

दिवा ह। पृष्ठा का उपका एवं
दुर्व्यवहार के इस गलत प्रवाह को
रोकेने की दृष्टि से नया कानून प्रभावी
कदम है, इससे बच्चों की अपने
माता-पिता को उपेक्षा पर विराम लग
सकेगा। सभी के लिये बुजुर्ग पीढ़ी के
लिए समान, सुरक्षा और कल्याण
को सुनिश्चित करना प्राथमिकता होनी
ही चाहिए। हम एक ऐसी दुनिया
बनाएं जहाँ हर बुजुर्ग अपने बुद्धिपे
को गरिमा, आत्मसम्मान, सुरक्षा और
स्वस्थता के साथ जी सके। वृद्धों को
बंधन नहीं, आत्म-गौरव के रूप में
स्वीकार करने की अपेक्षा है। वृद्धों
को लेकर जो गंभीर समस्याएं आज
पैदा हुई हैं, वह अचानक ही नहीं
हुई, बल्कि उपभोक्तावादी संस्कृति
तथा महानगरीय अधनातन बोध के

राज्यों की सरकारें बुजुर्ग आत्म-सम्पन्न के लिये नये कानून बना रही है। उत्तरप्रदेश में योगी सरकार अब बुजुर्ग मां-बाप की संपत्ति हड्डप कर उन्हें बेदखल करने वाले बच्चों के खिलाफ सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत माता-पिता की संपत्ति हड्डप कर उन्हें घर की देखभाल नहीं करता तो उसके कुल वेतन का 10 प्रतिशत हिस्सा काट लिया जाएगा और वह राशि माता-पिता के खाते में ढाल दी जाएगी। दिव्यांग (शारीरिक रूप से अशक्त) भाई-बहन होने की स्थिति में वेतन से 15 प्रतिशत तक हिस्सा काट लिया जाएगा।

से बाहर निकलने वाले बेटे-बेटियों की खँयर नहीं होगी। कुछ दूसरी तरह से असम सरकार ने वृद्धों की उपेक्षा पर विवारम लगाने की दृष्टि से ही राज्य कर्मचारियों के लिए नवंबर में दो विशेष अवकाश शुरू किए हैं, ताकि वे अपने माता-पिता या सास-समुर के साथ समय बिता सकें।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपनी घोषणा में परिवार के महत्व पर जोर दिया। 6 और 8 नवंबर को मिलने वाली ये विशेष छुट्टियां कर्मचारियों को उनके बुजुर्ग माता-पिता या सास-समुर से जुड़ने के अब केन्द्र सरकार द्वारा 2007 के कानून में बदलाव लाकर, नये विधेयक में इससे जुड़े कानून की व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, मंत्रालय ने कानून में बदलाव की पहल वर्ष 2019 में कर दी थी। इसी साल लोकसभा में एक विधेयक भी पेश किया गया था। इसके व्यापक पहलुओं की पड़ताल के लिये विधेयक का बाद में संसदीय समिति के पास भेज गया था। संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने पार्लियमेंट स्थानवस्था में विस्तर पर पड़े कराह रहे हैं, भरण-पोषण को तरस रहे हैं तो यह हमारे लिए वास्तव में लज्जा एवं शर्म का विषय है। वर्तमान युग की बड़ी विडम्बना एवं विसंगति है कि वृद्ध अपने ही घर की दहलीज पर सहमा-सहमा खड़ा है, वृद्धों की उपेक्षा स्वरूप एवं सूसंस्कृत परिवार परम्परा पर काला दाग है, यह आदर्श-शासन व्यवस्था के लिये भी शर्म का विषय है। इन त्रासद एवं डरावनी स्थितियों से वृद्धों को मुक्ति दिलाने के लिये नये कानून बनाने के साथ ये साक्षी मेरा लक्ष्य रही है।

